

**एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल,  
कवांट / नसवाड़ी / पुनियावंत / वागोड़िया-2 / जेतपुरपावी जिला छोटाउदेपुर / वडोदरा**  
**निविदा फार्म का प्रारूप 2026-2027**  
**निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें**

निविदा प्रपत्र कम संख्या.....

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 250/-

विक्रय तिथि.....

विज्ञप्ति विवरण:-संदेश अथवा गुजरात समाचार पत्र (वडौदरा संस्करण) दिनांक-..... में प्रकाशित।

दिनांक.....

सेवा में,

.....  
.....  
.....

**विषय:- एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल, कवांट, छोटाउदेपुर हेतु 2026-27 सत्र के लिए .....  
सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा।**

महोदय,

- उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल, कवांट/नसवाड़ी/पुनियावंत/वागोड़िया-2/जेतपुरपावी, छोटाउदेपुर के अधीनस्थ एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल, कवांट, छोटाउदेपुर हेतु मोहरबंद लिफाफे में **प्रकाशन तिथि से दिनांक - 28.05.2026 की अपराह्न 4:00 बजे** तक (अन्तिम ब्रिकी तिथि) संलग्न सूची की वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निर्धारित निविदा प्रपत्र पर विधिवत् भरी हुई निविदा, धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट सहित उपयुक्त सील/मुहर के साथ मुहरबंद लिफाफे में एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल, कवांट/नसवाड़ी/पुनियावंत/वागोड़िया-2/जेतपुरपावी, छोटाउदेपुर के प्राचार्य के नाम से केवल पंजीकृत डाक द्वारा पहुँचने अथवा विद्यालय में उपलब्ध निविदा पेटिका में डालने की अन्तिम तिथि दिनांक 28.05.2026 अपराह्न 4:00 बजे तक है, उक्त नियत अवधि तक प्राप्त निविदायें ही स्वीकार की जायेगी। लिफाफे के ऊपर बायीं ओर सुस्पष्ट शब्दों में प्रस्तावित सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। सभी प्राप्त हुई निविदाओं को प्राचार्य द्वारा दिनांक- 30.05.2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे विद्यालय कय परामर्श दायी उपसमिति की बैठक एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल, कवांट/नसवाड़ी/पुनियावंत/वागोड़िया-2/जेतपुरपावी, छोटाउदेपुर में खोलकर निर्णय लिया जायेगा।
- निविदायें निविदा फार्म की शर्तों जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को निविदा में निहित शर्तों की सहमति पर अपने हस्ताक्षर अंकित करने होंगे।
- निविदा में दर्शायी गयी दरें सभी कर सहित दरें जैसे:- जीएसटी, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क तथा अन्य कर सहित होनी चाहिए। तथा एफ0ओ0आर0 एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल, कवांट/नसवाड़ी/पुनियावंत/वागोड़िया-2/जेतपुरपावी, छोटाउदेपुर होना चाहिए, परन्तु किसी भी दशा में वस्तु पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।
- निविदा फार्म में अंकित वस्तु अथवा सामग्रियों के नाम/ब्राण्ड तथा फर्में द्वारा अंकित दरों में किसी तरह की कोई कटिंग नहीं होनी चाहिये और विषम परिस्थितियों में यदि किसी तरह का कोई कटिंग या ओवर राइटिंग है तो उस पर हस्ताक्षर व मुहर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा प्रपत्र निरस्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र में किसी तरह का बदलाव अथवा संशोधन मान्य नहीं है।
- प्राचार्य EMRS कवांट/नसवाड़ी/पुनियावंत/वागोड़िया-2/जेतपुरपावी के पास किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार सुरक्षित हैं एवं वह न्यूनतम दर वाले निविदा को ही स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है। निविदा को स्वीकृत न्यूनतम दरें गुणवत्ता को ध्यान में रखकर की जायेगी।
- निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी और निविदाकर्ता के बीच यह निविदा प्रपत्र स्वतः एक अनुबन्ध के रूप में परिवर्तित हो जायेगा तथा निविदादाता इस प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा।
- निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र में वर्णित सम्बन्धित निविदानुसार मात्र बयाना राशि (Earnest Money) के रूप में वांछित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट बैंक ऑफ बडौदा, छोटाउदेपुर/वडोदरा के पक्ष में प्राचार्य, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल, कवांट/नसवाड़ी/पुनियावंत/वागोड़िया-2/जेतपुरपावी, (Principal EMRS Kawant/Naswadi/Puniyawant/Waghodiya-2/Jetpurpavi) के नाम होनी चाहिए। जिन निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हें धरोहर राशि निविदा स्वीकृत होने की तारीख के 01 माह के भीतर लौटा दी जायेगी। किसी भी दशा में बयाना राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। सरकारी संस्थाएं निविदा हेतु आवेदन करना चाहती हैं तो वो बयाना राशि में छूट हेतु सक्षम अधिकारी से निर्गत अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाणपत्र संलग्न करेंगे, परन्तु फर्म को ऐसा विभागीय पत्र लगा देने मात्र से बयाना राशि जमा न किये जाने की छूट प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए विद्यालय कय समिति स्वयं निर्णय लेगी जो निविदादाता पर लागू होगा।

08. जिन निविदादाताओं की निविदायें स्वीकार हो जायेगी उनके द्वारा प्रस्तुत बयाना राशि स्वतः प्रस्तावित आपूर्ति हेतु धरोहर राशि में समायोजित कर दी जायेगी तथा सामान्य परिस्थितियों में मूल रकम निविदा पूर्ण होने पर वापस कर दी जायेगी। धरोहर राशि कुल आपूर्ति का 10 प्रतिशत होगी और सामानों की औसत मासिक आपूर्ति के आधार पर निश्चित की जायेगी।
09. निविदादाता को आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति अन्य स्रोत से पूर्ण कर ले तथा मूल्यों में अन्तर होने के कारण हुई कुल हानि की वसूली निविदादाता द्वारा प्रस्तुत लम्बित बिलों से अथवा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि से समायोजित कर ली जायेगी।
10. निविदा फार्म में जिन वस्तुओं के लिए नमूना मांगा गया है उनका नमूना निविदा के साथ भेजना आवश्यक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा नमूना की गुणवत्ता के आधार पर वस्तुओं का दर कय समिति के सदस्यों के सहमति के आधार पर स्वीकृत करने का अधिकार होगा तथा निविदादाता का दायित्व होगा कि वह किसी सामान के मशीनी होने की स्थिति में उसको चला कर अनिवार्य रूप से दिखाये। टेण्डर खोलने की तिथि के पूर्व जिस फर्म का सैम्पल विद्यालय में प्राप्त नहीं होगा उसका टेण्डर अमान्य कर दिया जायेगा।
11. वस्तु की आपूर्ति की जाँच अधोहस्ताक्षरी द्वारा या अधिकृत प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति हुई वस्तु स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं है अथवा निर्धारित निर्दिष्टकरण के अनुसार नहीं है तो आपूर्ति हुई सामग्री को निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर बदला जायेगा अन्यथा आपूर्ति को निरस्त कर दिया जायेगा। यह अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
12. निविदा पत्र उन्हीं फर्मों/कम्पनियों के स्वीकार किये जायेगें जो उस वस्तु (सामान, मशीन) इत्यादि के व्यापार में संलग्न हो तथा उनका ब्रिकी कर पंजीकरण उस वस्तु विशेष के व्यापार करने हेतु हो। किसी भी जनरल आर्डर सप्लायर, कमीशन एजेंट एवं मध्यस्थ को निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।
13. निविदादाता को अपने पक्ष में प्राप्त आपूर्ति आदेश की वस्तुएं अपने स्तर से ही आपूर्ति करनी होगी। वह उसका कोई अंश/भाग अन्य फर्म को आपूर्ति करने हेतु स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता।
14. फर्म को भुगतान करने में राशि के प्रेषण का ड्राफ्ट/चेक/आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट इत्यादि पर होने वाला व्यय फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
15. विवादास्पद वस्तु के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद वस्तुओं का निपटारा होने पर इनके परिणाम के अनुसार रकम का भुगतान किया जायेगा।
16. अगर निविदा फर्नीचर आपूर्ति के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर धातु की प्लेट लगायेगें जिस पर फर्म का नाम तथा आपूर्ति का वर्ष अंकित होगा।
17. निविदा की समस्त दरें दिनांक 15-05-2027 तक मान्य होंगी।
18. निविदा दाता आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट वस्तुओं में यदि किसी वस्तु के साथ उपहार स्कीम कम्पनी उपलब्ध करा रही है तो निविदादाता उस उपहार को विद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा उसे बिल में भी दर्शायेगें, परन्तु उसकी कीमत शून्य होगी, परन्तु उपहार में दी गयी वस्तु की कीमत की मांग नहीं करेगें।
19. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र सम्बन्धित विद्यालय का जनपद क्षेत्र होगा।
20. भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर की कटौती आपूर्ति कर्ता के बिल से की जायेगी और आयकर विभाग को भेज दी जायेगी।
21. आपूर्ति आदेश के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति न करने पर अथवा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म को काली सूची में अंकित करने हेतु कार्यवाही करें।
22. निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरित होगा।
23. विद्यालय द्वारा दिये गये आपूर्ति आदेश के सामानों की आपूर्ति निर्धारित तिथि तक फर्म द्वारा न किये जाने पर प्रति सप्ताह कुल सप्लाई की लागत का आधा प्रतिशत चार्ज पेनाल्टी के रूप में सप्लायर को वहन करना पड़ेगा।
24. ऐसे निविदादाता जिन्होंने सत्र 2026-27 में विद्यालय में धरोहर धनराशि जमा की थी उन्हें भी इस सत्र की निविदा भरने पर उसके साथ धरोहर धनराशि का नया ड्राफ्ट लगाना अनिवार्य होगा।
25. ऐसे निविदादाता जिन्होंने विद्यालय वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित धनराशि से अलग रूपया 250/- मात्र का ड्राफ्ट लगाना अनिवार्य होगा। जो कि बिक्री तिथि के भीतर का बना होना चाहिए। तथा अन्य निविदादाता रूपया 250/- का नगद भुगतान पर कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 09:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।
26. ऐसे निविदादाता जिनकी सेवाएं/आपूर्ति विद्यालय में गत वर्षों में सन्तोषजनक नहीं थी वह निविदा प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र नहीं है।
27. निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाणपत्र संलग्न करेगें।
  01. आयकर विभाग द्वारा जारी वर्तमान आयकर प्रमाणपत्र।
  02. निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट।
  03. उपकरण, फर्नीचर आदि की आपूर्ति के लिए निर्दिष्टीकरण तथा छपा हुआ मूल पत्र तथा अन्य लिखित सामग्री।
  04. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक का प्रमाण पत्र।
  05. जहाँ लागू हो टिन/वैट/बिक्री कर/जी.एस.टी रजिस्टर्ड प्रमाणपत्र की प्रति।
  06. खाद्यान्न आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता का भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) में पंजीकरण संबंधी नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
  07. सब्जी एवं फल आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण मण्डीपरिषद में होना अनिवार्य है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना है।
28. स्वीकृत निविदा से संबंधित सामान यदि जेम पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं अथवा किसी सरकारी प्रतिष्ठान में उपलब्ध होते हैं तो विद्यालय हित में उक्त सामान जेम पोर्टल अथवा सरकारी प्रतिष्ठान से लिया जा सकता है। स्वीकृत निविदा से संबंधित फर्म से ही सामान लेने हेतु अधोहस्ताक्षरी बाध्य नहीं है।

29. आपूर्तिकर्ता को भुगतान पी.एफ.एम.एस के माध्यम से कोष उपलब्धता होने की स्थिति में किया जायेगा ।
30. यदि किसी आपात-कालीन स्थिति उत्पन्न होती है और विद्यालय कुछ दिनों के लिए बन्द करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में खाद्य सामग्री को खराब / नस्ट होने से बचाने हेतु आपूर्तिकर्ता को खाद्य सामग्री अपने खर्च पर वापस ले जाना होगा और पुनः विद्यालय खुलने पर उन्हीं निविदा दरों पर वापस देना होगा ।

**निविदा के साथ संलग्न किये जाने हेतु जमानत धनराशि/धरोहर धनराशि का विवरण:-**

क्रम संख्या	नाम वस्तु	धनराशि
01	सब्जी	5,000/-
02	फल	2,000/-
03	बेकरी का सामान	2,000/-
04	छात्रों की बाल कटिंग	500/-
05	पीने का पानी (R.O. water)	2,000/-
06	बोर्ड परीक्षा / टूर इत्यादि हेतु किराये पर बस	2,000/-
07	पानी का टैंकर (water tanker)	2,000/-
08	बिजली उपकरण	2,000/-
09	प्लम्बरिंग सामान	2,000/-
10	भवन निर्माण सामग्री	2,000/-
11	हार्डवेयर सामग्री	2,000/-
12	विद्यालय भवनो की रंगाई पुताई एवं अन्य कार्य	2,000/-
13	फोटोकॉपी एवं प्रिंटिंग	500/-
14	टेन्ट सामग्री शामियाना	500/-
15	सम्प की सफाई	500/-
16	ओवरहेड टैंक की सफाई	500/-

प्राचार्य

एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सिल स्कूल, कवांट, छोटाउदेपुर, गुजरात

निविदा शर्तें स्वीकार होने का प्रमाण-पत्र (सत्र 2026-27)

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा फार्म में दी गयी क्रमांक 01 से 30 तक की समस्त शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक तथा पूर्ण होशोहवास में पढ एवं समझ लिया है तथा मुझे सभी शर्तें मान्य है। प्रमाण स्वरूप मैं इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ ।

फर्म मालिक / निविदादाता का हस्ताक्षर.....

फर्म का नाम.....

पता .....

.....

दिनांक:.....

फर्म की सील

फर्म का मोबाइल नम्बर.....

ई-मेल

---

**भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण :-**

01. फर्म / खाता धारका का नाम.....

02. फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर.....

03. खाता संख्या.....

04. बैंक का आई एफ एस सी कोड नम्बर .....

05. बैंक का नाम .....

06. बैंक का पूर्ण पता.....

.....

07. आधार नम्बर .....

नोट- बैंक पासबुक अथवा बैंक स्टेटमेन्ट की फोटोस्टेट कापी संलग्न करें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर.....